कार्यालय,आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन--भोपाल, 462004

क्रमांक / 283 / 833 / आउशि / शाखा 8 / 09 भोपाल, दिनांक 17 / 03 / 2009

प्रति,

प्राचार्य,
नीचे दर्शित शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-- प्रतिभा किरणयोजना की नवीन / नवीनीकरण छात्राओं हेतु बजट आवंटन वर्ष 2008–2009

संदर्भ:--शासन का पत्र क्रमांक एफ--19–1 / 08 / 2–अड़तीस दिनांक 05.01.2008

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में प्रतिभा किरण योजना 2008--09 के अंतर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित राशि का अतिरिक्त बजट आवंटन एतदद्वारा स्वीकृत किया जाता है:--

क्र0	डीडीओ कोड	शा0 महावि0 का नाम	स्थान	जिला	स्वीकृत राशि
1	4603802001	शासकीय तुलसी स्नातक महाविद्यालय	अनूपपुर	अनूपपुर	6000
2	0203802005	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	बड़वानी	बड़वानी	30000
3	0103802001	शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय	बालाघाट	बालाघाट	48000
4	0523802005	शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	भोपाल	भोपाल	15000
5	1303802001	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	गुना	गुना	42000
6	1603802003	शासकीय गृह विज्ञान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	होशंगाबाद	होशंगाबाद	99000
7	1713802004	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला	इंदौर	इंदौर	6000
8	2103802002	शासकीय श्री नीलकंठेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय	खंडवा	खंडवा	21000
9	2203802001	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	खरगौन	खरगौन	6000
10	2303802001	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय	मंडला	मंडला	15000
11	2503802002	शासकीय कन्या महाविद्यालय	मुरैना	मुरैना	75000
12	2703802001	स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	नीमच	नीमच	90000
13	3603802001	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	सिवनी	सिवनी	126000
14	4103802001	शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय	सीधी	सीधी	3000
15	4203802001	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	टीकमगढ़	टीकमगढ़	42000
		योग			6,24,000

(छः लाख चौबीस हजार रू मात्र)

उपरोक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2008--09 में बजट शीर्ष **44-- 2202 –03– 103– 5476–0101--41–002** (प्रतिभा किरण योजना) के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

यह जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी कि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित न हो । निम्नलिखित तथ्यों, का प्रमाण--पत्रों के आधार पर परीक्षण एव सत्यापन करने के उपरांत ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जाए--

1. शासन के संदर्भित पत्र में दर्शाए गये नियम मापदण्डो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. छात्रा ने जिस वर्ष 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो व निरन्तरता के साथ प्रथम वर्ष में प्रवेशित हो इसका परीक्षण एवं सत्यापन महाविद्यालय स्तर से किया जाए।
3. छात्रा ने उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु प्रथम वर्ष में महाविद्यालय मे नियमित प्रवेश लिया हो एव अध्ययनरत् हो।
4. पूर्व वर्ष 2007–08 में चयनित. छात्रा ने सफलतापूर्वक उत्तीण होकर निरन्तरता के साथ द्वितीय वर्ष की कक्षा में प्रवेश लिया हो।

5. यदि छात्रा संदर्भित पत्रानुसार पात्र पाई गई है तो उसके लिए बजट आवंटन अध्ययनरत छात्रा के महाविद्यालय के जिले में स्थित संबंधित अग्रणी महाविद्यालय को भेजा जा रहा है। यह अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का दायित्व होगा कि संबधित अशासकीय महाविद्यालय के बारे में यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उसे वर्तमान में अनुदान प्राप्त है अथवा नहीं।

6. अन्य महाविद्यालयं की चयनित छात्रा को बजट प्रदाय करने की कार्यवाही व पावती अग्रणी महाविद्यालय स्तर से प्रमाण–पत्रों का परीक्षण कर की जाएगी। **किसी भी स्थिति में संबंधित संस्था को बजट स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।**

7. पात्र छात्राओं को राशि वितरित करने से पूर्व घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए। (घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

8. किसी भी स्थिति में प्राप्त बजट में से परम्परागत शिक्षा हेतु प्रति छात्रा छात्रवृत्ति राशि रू. 300.00 (रू0 तीन सौ) प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक सत्र हेतु 10 माह के लिए रू. 3000.00 (रू. तीन हजार) से अधिक नहीं होगी व तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा हेतु प्रति छात्रा छात्रवृत्ति राशि रू. 750.00 (रू0 सात सौ पचास) प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक सत्र हेतु 10 माह के लिए रू. 7500.00 (रू. सात हजार, पांच सौ) से अधिक नहीं होगी । प्राचार्य सुनिश्चित करें कि पात्र छात्रा छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने से वंचित न रहें।

9. कोषालय से आवश्यक राशि ही आहरित करे। राशि वितरित करने के उपरान्त विभाग द्वारा आंवटित शेष राशि बीसीओ कोड--3802 में **30 मार्च, 2009** के पूर्व कोषालय में समर्पित करे व आई डी क्रमांक व दिनांक ई--मेल (compcellhedu@mp.gov.in) के माध्यम से अवगत करायें। किसी भी परिस्थिति में योजना की राशि अन्य मद में जमा न करे, यदि किसी कारणवश अतिरिक्त राशि आहरित कर ली जाती है तो चालान के माध्यम से विभागीय कोड के अंतर्गत शासकीय कोष में वित्तीय वर्ष 2008--2009 में ही जमा करें ।

10. पात्र छात्रा को वितरित राशि व विगत कक्षा के प्राप्तांक का लेखा महाविद्यालय के लेखापाल व प्रतिभा किरण योजना के प्रभारी द्वारा किया जाकर प्राचार्य से प्रमाणिक अभिलेखों व उपलब्ध कराई गई साफ्टवेयर में अद्यतन कर दिनांक **30.मार्च, 2009** तक अनिवार्य रूप से अग्रणी महाविद्यालय द्वारा संकलित कर ई--मेल पर प्रेषित करें । महाविद्यालय पृथक--पृथक से जानकारी का प्रेषण न करें ।

11. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को संदर्भित पत्रानुसार पात्र छात्राओं को समय से योजना का लाभ प्राप्त हो जाए।

12. प्रतिभा किरण योजनान्तर्गत पात्र नवीन छात्राओं की संपूर्ण सूची विभाग की वेब साइट http://www.mp.nic.in/highereducationmp पर उपलब्ध है।

13. जारी किया गया बजट दिनाक 18 **-03-2009** को आयुक्त कोष–लेखा के सेन्ट्रल सर्वर पर जोड करा दिया गया है।

संयुक्त संचालक (यो.)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक/284/833/आउशि/योजना/शा.8/09 भोपाल, दिनांक 17/03/2009

प्रतिलिपि--

1 निज सहायक माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म प्र शासन, भोपाल म प्र।
2. निज सहायक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, म प्र शासन, भोपाल म प्र।
3 संयुक्त संचालक (बजट), उच्च शिक्षा, म.प्र. – की ओर सूचनार्थ।
4 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.
5 संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र.।

संयुक्त संचालक (यो.)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश